पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रस्ताव " जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर के आनन्द चौक ग्राम समूह पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण" के संबंध में प्रस्ताव/आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2019 का कार्यवृत्त।

(टी0ए0सी0,वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त सिविल कार्य–₹ 1040.97+ अधिप्राप्ति कार्य–₹ 313.96 = ₹1354.93 लाख है। इस प्रकार उक्त परीक्षित परियोजना की कुल लागत ₹1354.93 लाख है।)

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2019 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1–सर्व श्री अमित सिंह नेगी, सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
2–श्री शैलेश बगोली, सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3–श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4–श्री उदयराज सिंह, अपर सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5–श्री एन0एस0 विष्ट मुख्य अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6–श्री एस0सी0 पन्त, जी0एम0, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7–नियोजन विभाग एवं टी0ए0सी0, वित्त के अभियंतागण।

1. परियोजना प्रस्ताव–

1.1 योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले ग्रामवासियों को आवश्यक मात्रा में पेयजल उपलब्ध न होने के कारण पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार योजना के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए योजना का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामवासियों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना तथा सम्पूर्ण स्वच्छता को अपनाते हुए योजना के रख–रखाव हेतु आत्मनिर्भर बनाया जाना है।

1.2 उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव/आगणन का गठन उत्तरखण्ड पेयजल निगम द्वारा गठित किया गया है।

2. आवश्यकता एवं औचित्य–

प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत 09 ग्राम पंचायतों की 55 एन0सी0 एवं पी0एस0 को पंपिंग योजना के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत सौंग नदी से इण्टैक वैल के माध्यम से पानी प्राप्त कर 03 स्टेज पंपिंग द्वारा केन्द्रीय जलाशयों तक पानी पहुॅचाया जायेगा। जहां से गुरूत्व द्वारा वितरण प्रणाली के माध्यम से विभागीय मानकों के अनुसार उपभोक्ताओं को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के अंतर्गत ट्रीटमेंण्ट प्लान्ट प्रत्येक यूनिट 2.25 एमएलडी प्रत्येक स्टेज पर तथा राइजिंग मैन से 125 एम0एम0 डाया 4.0 एमएम मोटाई, लम्बाई 2100 मी0 (120 किलोलीटर एमपीएस से 110 किलोलीटर आईपीएस तक) एवं आइपीएस से टॉप सीडब्लूआर 65 के0एल0 क्षमता का जलाशय धधाइंच 80 एम0एम0 डाया 3.2 एम0एम0 मोटा एपीआई पाइप के माध्यम से 1600 मीटर लम्बाई तथा आईपीएस –प्रथम से टॉप सीडब्लूआर 170 के0एल0 क्षमता का आनन्द चौक तक 125 एम0एम0 डाया 4.4 एमएम मोटा एपीआई पाइप के माध्म से 10500 मीटर लम्बाई पाइप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति की जायेगा। वितरण प्रणाली के अंतर्गत 20 एमएम से 100 एमएम तक विभिन्न साइज के पाइपों द्वारा 93725 मी0 पाइप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति की जायेगी। सभी पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के अंतर्गत वितरण प्रणाली जलाशय एवं स्टैण्ड पोस्ट को नई योजना में उपयोग किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

योजना के अंतर्गत क्षेत्रवासियों को 90 प्रतिशत प्राइवेट तथा 10 प्रतिशत सार्वजनिक जल संयोजन दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

योजना के आधार वर्ष 2021 में 4252 तथा डिजाइन वर्ष 2041 में 7910 जनसंख्या को लाभान्वित किया जायेगा। इस प्रकार योजना के आधार वर्ष 2021 पर प्रति व्यक्ति लागत रू0 24983.00 एवं डिजाइन वर्ष 2041 पर प्रति व्यक्ति लागत रू0 17836.00 है। योजना के निर्माण से Present Tariff से आधार वर्ष में कुल रू0 13.62 लाख एवं डिजाइन वर्ष में रू0 34.16 लाख का लाभ होगा। योजना में Proposed Tariff से आधार वर्ष में कुल रू0 34.36 लाख तथा डिजाइन वर्ष में रू0 53.98 लाख की हानि होगी। योजना का श्रोत नलकूप आधारित है जिसका श्राव योजना के संचालन हेतु अगले 15 वर्षो तक रहेगा।

योजना में पेयजल मुख्यतः सौंग नदी के हटवाल गांव के समीप से इण्टैक वैल निर्मित कर प्राप्त किया जायेगा। इस स्थान पर श्रोत का श्राव विगत 03 वर्षो (वर्ष 2017 से 2019 तक) के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में 4500 एलपीएम प्रतिवर्ष मापा गया है जो योजना के संचालन हेतु अगले 20 वर्षो तक निरन्तर रहने की सम्भावना है।

3. भूमि की उपलब्धता/प्राविधानः–

विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है।

4 निर्माण दरेंः– आंगणन में दरें पेयजल निगम द्वारा वर्ष 2018 में प्रसारित दरें एवं डी0एस0आर0–2016 की ली गयी है।

5.लागत विवरण का सारांशः–

Amt. In ₹ Lakhs

S. No.	Item Of Work	D.S.R.	S.O.R.	U.J.N.	N. S. I.	Deposit
	Civil work					
1	Pump House	10.70	-	-	-	-
2	C.W.R main	14.70	-	280.37	5.73	-
3	Feedermain	1.78	-	149.33	-	-
4	C.W.R. & Sump	-	-	60.54	-	-
5	Distribution systems	22.48	-	288.96	-	-
6	Boundrywall	3.85	-	-	-	-
7	Construction of bridle path	-	8.42	-	-	-
8	Chlorinating works	-	-	6.40	-	-
8	Staff Quarter	15.36	-	-	0.16	-
9	Road cutting	-	-	-	-	70.65
10	R/W& B/W Works	-	14.68	-	-	-
11	Expenditure on Trial & Testing	-	-	-	-	18.77
12	Cartage	-	-	19.26	-	-
13	Pump Plant& E&M Works	-	-	-	124.73	71.08
14	Contingencies @ 3 %	2.77	0.69	23.95	-	-
15	Labour cess @1%	0.92	-	-	-	-
16	Cost Index 34.31%	23.63	-	-	-	-
17	Add G.S.T @12%	-	2.77	95.81	16.44	-
	Total	**96.19**	**26.56**	**918.22**	**153.46**	**160.50**
	Grand Total (₹96.19+₹26.56+ 918.22 + 153.46+ 160.50)	**₹ 1354.93**				

क्रमशः पृष्ठ–3/–

6.व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमतः–

- आगणन विभागीय स्तर की समिति से संस्तुत है।
- पूर्व में नियोजन विभाग की पृच्छाओं का निराकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा कर दिया गया है तथा पुनरीक्षित प्रस्ताव गठित करते हुए लागत रू0 15723.18 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। पुनरीक्षित प्रस्ताव टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षित करते हुए योजना की कुल लागत रू0 1354.93 लाख सेन्टेज रहित संस्तुत की गई है तथा सेन्टेज सहित लागत रू0 1524.29 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
- योजना 90:10 के अनुपात में प्रस्तावित की गई है।

7. व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त अभिमत/निर्णयः–

प्रश्नगत योजना निर्माण के संबंध में आयोजित व्यय वित्त समिति द्वारा विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि योजना में भूजल रिचार्ज का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। चूँकि भविष्य में भूजल का अत्यधिक दोहन किया जायेगा। अतः इस हेतु भूजल की रिचार्जिग भी अनिवार्य होगा। तदनुसार आगणन में इसका प्राविधान अवश्यमेव किया जाय। इस प्रकार प्रश्नगत योजना को व्यय वित्त समिति द्वारा कुल **₹ 1354.93 लाख (उक्त प्रस्तर–5 में अंकित लागत विवरण के सारांश के अनुसार) निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ व्यय वित्त समिति द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गयाः–**

1. कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
2. एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का निर्माण किया जाय।
3. निर्माण सामग्री यथा Bricks, cement, steel एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।
4. कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य का Structural Design सक्षम स्तर से Vet कराया जाय, साथ ही Reinforcement Steel की मात्रा Bar bending schedule के आधार पर आंकलित किया जाये तथा बचत के संबंध में प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. Electrical Items जैसे Switches, wires, MCB, MCCB, AC आदि Plumbing Items जैसे Bath fittings, Geyser, water tank, pipes आदि, Toilet items, wood Items आदि की Market Survey कर डी0एस0आर0 दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर लिया जाय। प्रोक्योरमेंट मदों के संबंध में कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के अनुसार की जाय।
6. आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी0एस0आर0 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। विशिष्टियां तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में कार्यदायी संस्था तथा प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

क्रमशः पृष्ठ–4/–

अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपहरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समायोजन करेंगें जो अपहरिहार्य मदें हैं। यह सही हैं कि मदें डी0एस0आर0 में हैं, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन मदो का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त **कमांक–1 से 6 तक** की शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा विभागीय सक्षम अधिकारी संरचना के प्लान, डिजाइन, Structural design, Items के विशिष्टियों पर Counter sign अवश्य करें ताकि भविष्य में संरचना के प्लान, डिजाइन या Items के विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor द्वारा अपने स्तर से परिवर्तन कर संरचना की गुणवत्ता प्रभावित करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

उक्त शर्तो का समावेश इस संबंध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव सम्मिलित किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

राज्य योजना आयोग
नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन,
संख्या– 1257 /458–रा0यो0आ0–व्य0वि0स0/2019–20
देहरादूनःदिनांकः 19अगस्त, 2019

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(2) सचिव (प्रभारी), पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(3) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(4) एक प्रति गार्ड फाइल हेतु।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।